


26/6/17

पञ्चावली व्याक हाण्डे द्वार / वेम्य तौर मोली मे प्रस्तुत  
हुई। धार्मी अधिकार उपाधिकृत / विपक्षी गण बाद लामील  
अनु. / रुड अंश तीन बाद आवाज लगाई / विपक्षी सं  
। मे 4 के खिलाफ गण्य पारी विपण जाता है शर्चना  
पत्र स्वीकार विपण जाता है। पञ्चावली वेसल शुमार  
होवर नंबर से कम है। निर्णय पृथक् से लिखा  
जाउद संलग्न पञ्चावली विपण गया।



  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड इन्सपेक्टर, भीलवाड़ा

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार - 2017  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा, केम्प कोर्ट - मोली  
पीठासीन अधिकारी- राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 11/2017

1. रामप्रसाद पुत्र बलदेव जाट, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
2. अनोपी बेवा बलदेव जाट, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
3. जानू पत्नी स्व० श्री रामेश्वर जाट, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
4. प्रवीण पुत्र स्व० श्री रामेश्वर जाट, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता जानू पत्नी स्व० श्री रामेश्वर जाट, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. जमनालाल पुत्र रामचन्द्र जाट, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
2. सुवालाल पुत्र रामचन्द्र जाट, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
3. माधु पुत्र सोनाथ जाट, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
4. गणेश पुत्र रामा रेगर, निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 16.06.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 02.06.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोली, पटवार हल्का भोली, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1615/1 रकबा 04-11 बीघा, आराजी संख्या 1622/1 रकबा 04-05 बीघा, आराजी संख्या 1622/3 रकबा 00-01 बीघा कुल कित्ता 03 कुल रकबा 08-17 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

ने है कि ग्राम भोली

### आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम भोली, पटवार हल्का भोली, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1615/1 रकबा 04-11 बीघा, आराजी संख्या 1622/1 रकबा 04-05 बीघा, आराजी संख्या 1622/3 रकबा 00-01 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 08-17 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 900/- अक्षरे पाँच सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 16.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जायें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)

उप-सहायक अधीक्षक एवं

पदेन सहायक कलेक्टर।